भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5891

सोमवार, 30 मार्च, 2026/09 चैत्र, 1948 (शक)

गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

†5891. श्री बिप्लब कुमार देब:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत गिग और प्लेटफार्म कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों को तैयार करने और लागू करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) ई-श्रम सहित संबंधित पोर्टलों पर पंजीकृत ऐसे कामगारों की संख्या का ब्यौरा क्या है और उन्हें क्या-क्या लाभ दिए गए हैं;

(ग) सामाजिक सुरक्षा निधि के लिए एग्रीगेटर के अंशदान की रूपरेखा का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उक्त प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): पहली बार 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफॉर्म कामगारों' की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रदान किए गए हैं जो दिनांक 21.11.2025 को लागू हुई है।

यह संहिता, जीवन और नि:शक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधाएं, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का प्रावधान करती है। संहिता इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना का भी प्रावधान करती है, जिसका एक स्रोत, एग्रीगेटर द्वारा ऐसे कामगारों को भुगतान की गई या देय राशि के 5 प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन, एग्रीगेटर के वार्षिक कारोबार के 1 से 2 प्रतिशत के बीच एग्रीगेटर्स का योगदान है। संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के प्रयोजनों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है।

ई-श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म कामगारों के पंजीकरण को अधिकतम करने के लिए, राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के सहयोग से अप्रैल, मई और अगस्त-सितंबर, 2025 के महीनों के दौरान, तीन राष्ट्रव्यापी विशेष पंजीकरण अभियान आयोजित किए गए। दिनांक 23.03.2026 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर 8.89 लाख से अधिक प्लेटफॉर्म कामगार पंजीकृत हैं।
